Daily Gospel Reflections in Hindi

22 July 2019

मत्ती 12:38-42

SIGN OF JONAH

नबी योनस का चिन्ह– शास्त्रियों और फरीरियों द्वारा चिन्ह मांगना फिराऊन द्वारा मूसा और हारुन से चिन्ह मांगने का प्रतीक है (Ex. 7:8-13)। लेकिन प्रभु उनकी बात नहीं मानते है। क्योंकि चिन्ह द्वारा लोगों का मन परिवर्तन की उम्मीद रखने का समय निकल चुका है। यहूदियों के मन–परिवर्तन के लिए अनेकों नबियों द्वारा ईश्वर ने कई चिन्ह दिये थे। पर यहूदी हमेशा उनकी अनदेखी करती रही। ''यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हटपूर्वक अपनी राह चलती है'' (Jer. 13:10)। ''प्राचीन काल के नबी विश्वमण्डल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे, उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा'' (Zech. 7:12)। ईश्वर की प्रेरणा से स्तोत्र–ग्रन्धकार कहते है – ''अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था'' (Ps. 95:8)।

प्रभु कहते है कि नबी योनस के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योनस के चिन्ह का मतलब है– पश्चाताप और मनपरिवर्तन। जो सन्देश नबी योनस ने निनेवे वासियों को दिया था, उसी सन्देश की आज आवश्यकता शास्त्रियों और फरीसियों को है– पश्चाताप। उनका भी हृदय कठोर बना हुआ है। कोई नया चिन्ह देखकर उनका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु उन के लिए कोई चिन्ह नहीं देते है। वे बस उनसे आह्वान करते है कि जिस तरह निनेवे वासी योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किये थे, उसी तरह प्रभु की शिक्षा को अपनाकर शास्त्रियों और फरीसियों को अपना हृदयपरिवर्तन करने की जरूरत है। देखने– सुनने का वक्त निकल चुका है। अब वक्त है – करने का– पश्चाताप करने का।

सुलैमान की प्रज्ञा सुनने के लिए दक्षिण की रानी दुनियां के सीमाओं से आई थी। शास्त्री–फरीसी प्रभु को देखते–सुनते जरूर है, लेकिन समझना नहीं चाहते। पर यहां सुलैमान से भी महान कोई है। सुलैमान राजा दाऊद का केवल एक पुत्र था जो कुछ एक साल तक राजा बने रहें। पर येसु दाऊद का वह पुत्र है जिसे स्वयं दाऊद प्रभु पुकारते है और जिनका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। सुलैमान धनी थे। पर येसु सारी सम्पत्ति का सृजनकार और विधाता है। सुलैमान को प्रज्ञा का वरदान मिल चुका था। पर येसु प्रज्ञा का मूर्तभाव है (1 Cor.1:30)। तो हमें चाहिए कि हम उनकी सुनें और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अमर करें।

Rev. Fr. Rojan Chirayath

©Rights Reserved. Commission for Social Communications, Diocese of Sagar 2019